न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2016 (GCMS 2016/00079)	20.07.2016	18.01.2021

अनवान

जमनादास पिता कमलदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

रूपदास पिता कमलदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत ::–

उपस्थिति :– श्री चंदनमल जणवा — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सोहनलाल जणवा — अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पारित आदेश मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भू आवंटन कमेटी निम्बाहेडा द्वारा विपक्षी को ग्राम रावतपुरा की आराजी संख्या 53, 85, 103 मैसे 15 बिस्वा भूमि आवंटन करने के आदेश पारित किये जबकि उक्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक कृषि आराजीयात जिसके आराजी संख्या 106 एवं 126 के आगे की तरफ स्थित होकर प्रार्थी की अपनी आराजीयात पर पहुॅचने का एक मात्र रास्ता है जिससे आवंटन कमेटी द्वारा रास्ते की कृषि भूमि को आवंटन करने का जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन के पश्चात् प्रार्थी निगराकार द्वारा आवंटन बाबत विरोध करने पर स्वयं आवंटी द्वारा आवंटन शुदा आराजीयात में से 1/2 हिस्सा दिनांक 11.03.1997 को 300/– रूपये में निगराकार को विक्रय कर 1/2 हिस्से पर कब्जा सिपुर्द कर दिया तभी से आवंटित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटनशुदा आराजीयात पर विपक्षी का सम्पूर्ण रकबे पर कभी कब्जा नहीं रहा है फिर भी आवंटन आदेश की आड में प्रार्थी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करना चाह रहा है। [illegible] प्रार्थी के अपनी आराजीयात एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.01.19 15:10:30 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुख्य रोड के मध्य बिलानाम जमीन को आवंटन कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन कमेटी की राय की कलम संख्या 2, 3 से भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि वक्त आवंटन आवंटी मौके पर मौजूद नहीं था एवं प्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आकर वक्त आवंटन नाबालिग था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा नाबालिग के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश प्रारंभ से ही शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। विपक्षी को आवंटित आराजीयात के नवीन आराजी संख्या 368/53 शा0नं0 कायम किये गये जिस पर वर्तमान में भी 1/2 हिस्से पर प्रार्थी निगराकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1989 को निरस्त किया जाकर आराजीयात को बिलानाम सरकार किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं दिनांक 10.11.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि भू आवंटन कमेटी द्वारा मौके पर सम्पूर्ण जांच पडताल के पश्चात् विपक्षी को आवंटन का आदेश पारित किया है जो विधि अनुकुल होकर सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है। आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी/निगराकार का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही वर्तमान में है एवं उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नहीं है। प्रार्थी ने सभी तथ्य मिथ्या मनगढन्त व कपोल कल्पित अंकित किये है। प्रार्थी का अपनी आराजीयात पर आने का रास्ता अलग से स्थित है जिससे वह हमेशा से ही आता जाता रहा है। मात्र विपक्षी को जलील व परेशान करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कोई इकरार निष्पादित ही नहीं किया ना ही कोई विक्रय मूल्यही प्राप्त किया। क्योंकि तत्समय आवंटित आराजीयात मुझ विपक्षी के गैर खातेदारी में दर्ज थी ऐसी स्थिति में कोई इकरार नामा किया भी गया हो तो कानूनी दृष्टि से शून्य व बेअसर है। वक्त आवंटन मुझ विपक्षी को मौके पर कब्जा सिपुर्द किया तभी से मैं आवंटित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उसी आधार परमुझ प्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात 14(4) की कार्यवाही किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है ना ही 14(4) की कार्यवाही से मुझ विपक्षी उत्तरदाता को प्राप्त खातेदारी अधिकार ही समाप्त किये जा सकते है। प्रार्थी ने मुख्य रोड के मध्य बिलानाम जमीन को आवंटन का तथ्य अंकित किया है जो बिल्कुल निराधार है क्योंकि वक्ता आवंटन कोई रोड मौके पर स्थित नहीं था एवं प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए शामलाती कुंए से होता हुए मुख्य मार्ग से होकर आता जाता था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत यह रोड निकाला है जिससे प्रार्थी निगराकार की नियत में फितुर आ जाने से तथा मुझ विपक्षी की आराजीयात को हडपने के उद्देश्य ये यह मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी निगराकार ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि विपक्षी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता हो जिससे भी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित आराजीयात पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है जबकि मुझ विपक्षी को वक्ता आवंटन भू आवंटन कमेटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.01.19 15:10:30 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा कब्जा सिपुर्द किया गया जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में करते हुए मुझ विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई तथा लगातार काश्त होने से मुझे आवंटित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ओरसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा से मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 836/1989 नि0दि0 16.06.1989 को तलब किया गया। इस पर प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रेकार्ड/2017/02 दिनांक 31.01.2017 से प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर है।

दिनांक 14.01.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि आवंटन के पश्चात् प्रार्थी निगराकार द्वारा आवंटन बाबत विरोध करने पर स्वयं आवंटी द्वारा आवंटन शुदा आराजीयात में से 1/2 हिस्सा दिनांक 11.03.1997 को 300/– रूपये में निगराकार को विक्रय कर 1/2 हिस्से पर कब्जा सिपुर्द कर दिया तभी से आवंटित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटनशुदा आराजीयात पर विपक्षी का सम्पूर्ण रकबे पर कभी कब्जा नहीं रहा है फिर भी आवंटन आदेश की आड में प्रार्थी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करना चाह रहा है। जबकि प्रार्थी के अपनी आराजीयात एवं मुख्य रोड के मध्य बिलानाम जमीन को आवंटन कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा भू–आवंटन हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें विपक्षी के पास पहले होने से वाली का विवरण अंकित नहीं है, विपक्षी के पास पहले से भूमि होने के उपरांत भी भू–आवंटन गलत तरीके से किया है इस कारण यह आवंटन निरस्त योग्य है। इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उसके पक्षकार के हिस्से में जो भूमि आती है उसका विवरण पटवारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष जो प्रतिवेदन पेश किया उसमें लिखा हुआ है, उसके द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाये है। आवंटन सलाहकार समिति ने भी उसके पास उपलब्ध भूमि को ध्यान में रखकर केवल 15 बिस्वा भूमि का ही आवंटन किया गया है। यह जमीन आवंटित होने के बाद उसने मेहनत करके इसे कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही तथ्यों पर आधारित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की भू आवंटन कमेटी की राय की कलम संख्या 2, 3 से भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि वक्त आवंटन आवंटी मौके पर मौजूद नहीं था एवं प्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आकर वक्त आवंटन नाबालिग था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा नाबालिग के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश प्रारंभ से ही शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.01.19 15:10:30 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादग्रस्त आवंटित भूमि पर आवंटन समय से ही अपना कब्जा होने तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने जाने का मुख्य रास्ता होने का कथन किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी की और से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि कब्जे का प्रश्न ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है । इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 11.03.1997 को आवंटन शुदा आराजीयात के 1/2 हिस्से का विक्रय का प्रश्न है तो इस संबंध में भी प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, एवं इस संबंध में पत्रावली पर कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इनके उक्त कथन अमान्य किये जाते है। विपक्षी द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में पूर्ण विवरण अंकित नहीं करने मात्र से उसका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जहॉ तक वक्त आवंटन अप्रार्थी का नाबालिग होने का प्रश्न है तो विपक्षी द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी की आयु 28 वर्ष अंकित की गई है, एवं जहां तक विपक्षी के पास पहले से भूमि होने का प्रश्न है, उसके बारे में अभिलेख पर इसका विवरण उपलब्ध है उसे देख कर ही आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षीगण को 15 बिस्वा भूमि का ही आवंटन किया है। इस प्रकार से आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 836/1989 दिनांक 16.06.1989 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी रूपदास पिता कमलदास जाति बैरागी निवासी रावतपुरा का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जमनादास पिता कमलदास बैरागी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 में सारहीन होने से खारीज किया जाता है, एवं विपक्षी रूपदास पिता कमलदास जाति बैरागी निवासी रावतपुरा का आवंटन उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 836/1989 दिनांक 16.06.1989 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.01.19 15:10:30 IST
Reason: SelfAttested